

## Draft

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1268/54-1-CAD-128(8)-78, dated April 30,1979.

### **No. 1268/54-1-CAD-128(8)-78 April 30,1979**

In exercise of the powers under section 53 of the Uttar Pradesh Area Development Act, 1976 (U.P. Act no. 51 of 1976), the Governor is pleased to make the following rules:

#### **THE UTTAR PRADESH AREA DEVELOPMENT (LAND DEVELOPMENT) RULES, 1979**

**1. Short title and commencement -**

- (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Area Development (Land Development) Rules, 1979.
- (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

**2. Preparation of Plan-**

- (1) A "District Committee" may either suo-moto or on the recommendation of the Chak Sabha pass a resolution that land development be undertaken in the district or any part thereof by the Authority concerned under the Act.
- (2) On receipt of the resolution of the District Committee under sub-rule (1) or suo-moto the Authority may require the Project Director to prepare a draft plan setting out-
  - (a) A description of the work or works to be executed indicating its category as indicated in sub-rule (3) below;
  - (b) The location extent nature and existing land use of the area to be covered by the plan in A.D. (L.) Form 1;
  - (c) The soil and topographic survey data and plan in AD (L) Forms 2 and 3 accompanied by Soil map generally on scale of 1:4000 and topographic-cum-plan map generally on scale of 1:2,000.
  - (d) the estimates of quantity and cost involved in the work or works as well as the phases thereof, if any, in AD (L) form 4.
  - (e) the statement showing the details of the work to be executed by the land holders concerned with and the benefits or likely benefits which may accrue to them along with estimate of the cost in AD(L) Form 5:
  - (f) the statement of work or works to be carried out by the Authority along with the cost involved therein (AD)L form 6:
  - (g) the detailed plan and estimates for masonry works exceeding Rs. 10,000 (rupees ten thousand only) for each item of work( if any) on the relevant forms prescribed by the Public Works Department in this behalf;
  - (h) the phasing of the plan, both area wise and work-wise;

- (i) the staff of the government department or local bodies or other staff whose service shall be required by the Authority for implementation of the plan;
- (j) the charges or dues to be levied on the beneficiaries;
- (k) the betterment fee to be levied under section 27 of the Act;
- (l) the departments or other agencies presently carrying out such work;
- (3) With a view to determining the extent of benefits that may accrue to a beneficiary, the work under a plan may, in the light of local condition be categorised into three classes as follows;

Permanent	Semi-permanent	Temporary
1	2	3
Masonry structures of all sorts, levelling of land construction of ponds, Installations for pumping out of sub-soil, water, application of gypsum or other amendments leaching, planting of trees including wind breaks opening of drainage cuts. Construction of bench terraces, faising of pasture, chak roads, minor irrigation and various water management practices including construction of irrigation channels.	Bundling including construction of mends dauls, Bundhies contour bunds, earth check bunds, or field chanel (guls). Planting of munja. sarkhanda or other soil binding grasses on bounds or waterways and maintenance of work shown in column 1.	Contour cultivation strip-cropping pumping sub-soil water, growing of cover crops. green manuring application of compost and farm yard Manure and maintenance of original works shown in column 2.

### **3. Publication of draft plan-**

(1) After a draft plan has been prepared under rule 2, it shall be placed before the District committee concerned for consideration, which shall order for its publication in a local newspaper published in DevnagriScript.

(2) After publication the Project Director shall prepare notice in AD (L) Form 7 indenting the place and time where the draft plan shall be available for inspection by the public free of charge.

(3) The notice shall be posted at conspicuous places in the offices of the Collector Project Director, Tehsildar and Block Development. It shall also be notified by bent of drums he villages to which it relates and record proof shall be maintained duly witnessed by two responsible persons of the locality. One of the witnesses shall ordinarily be the Pradhan of the GaonSabhas concerned.

### **4. Filling of objections by the Chak Samiti-**

(1) A copy of the draft plan shall ne sentby Project Director to the Chak Samiti of the outlet command in which the work is to be carried out. The Chak Samiti shall discuss it in a special meeting to be called for the purpose and may within 15 days of its receipt make objections, if any, in writing to the Project Director specifying-

- (i) the details of land in respect of which the objection is raised;
- (ii) outlet command, village and tehsil in which the land is situate.
- (iii) nature of objection with full details of probable losses that may accrue to the land under the proposed plan;
- (iv) whether the plan is desired to be modified:
  - (a) in respect of a particular area covered by the draft plan of
  - (b) in respect of the entire area covered by the draft plan.

(2) Filing of objections by affected persons- After the posting of the notice and publicity thereof by beat of drums under sub-rules (2) and (3) of rule 3, any person likely to be affected by the draft plan may within thirty days from the date of posting of the notice and publicity thereof by beat of drums, whichever is late, make objections if any in writing to the Project Director. Such objection shall contain all the information as required for an objection under sub-rule (1) of this rule in addition to the following information.

- (i) name, parents and residence of the objector; and
- (ii) interest of the objector in the land included in the draft plan.

(3) If no objection is made under sub-rules (1) and (3) within the time, prescribed, the draft plan as published shall be forwarded by the District committee to the Authority for its consideration.

### **5. Issue of notice and hearing of objections-5**

(1) Where an objections is received under sub-rules (1) and (3) of rule 4, the project Director shall issue a notice to the objections in A.D. (L) Form 8 and to other persons, if any who are likely to be affected in A.D. (L) Form 9.

(2) The objections shall be heard by the Project Director in the villages to which they pertain, unless for reasons to be recorded in writing, the Project Director may decide to hear them at any other place.

(3) After hearing the objections the Project Director shall as soon as possible, submit his report on such objections to the District Committee in A.D.(L) Form 10.

(4) After considering the objections and report of the Project Director submitted under sub-rule(3) the District Committee may approve the plan; with or without any modification, and the plan so approved shall be forwarded bythe District Committee to be the Authority for consideration.

(5) The Project Director shall submit the Plan Along with his report on the objections to the Authority in case the District Committee fails to forward the plan as provided insub-rule (4) within a period of two months from the date of submission of the report of the Project Director under sub-rule (3).

(6) The Authority may consider the plan submitted under sub-rule (4) or (5) as the case may be and make such changes in it as are in its opinion necessary for carrying out he purposes of the Act and approve it.

Provided that no such change shall be made to the prejudice of any land-holder concerned without affording him an opportunity of being heard in the matter.

(7) Notwithstanding anything contained in this rule, the Project Director or the Chairman or the Authority may, either on his own motion or on the application of a person interested in the draft plan, if satisfied, about a clerical or arithmetical mistakes or errors arising from any accidental slip or omission in the draft plan correct the same after issuing a notice in AD(L) Form 11.

(8) After approving the draft plan under sub-rule (6) and after correcting mistakes and errors if any, the Authority shall submit the draft plan to the State Government for its approval in AD(L) Form 12 incorporating the details enumerated in sub-section (1) 14 of the Act.

#### **6. Execution of the approved plan-**

(1) The Project Director may on behalf of the Authority be notice in AD(L) Form 13 require a beneficiary to carry out at his cost any work which under an approved plan is to be carried out by him, in the manner and within the period mentioned in the notice.

(2) Where a beneficiary intimates in writing in AD(L) For 14 to the Authority, through the Project Director, within fifteen days of the notice given under sub-rule (1) that he is unable to carry out the work within the period mentioned in the notice or if the work is not carried out to the satisfaction of the Authority by the date fixed in that behalf or within such further extended time as may be allowed to him, the authority shall itself get the work carried out on his behalf.

(3) Notwithstanding anything contained sub-rules (1) and (2) where at any stage the Authority is of the opinion that it would be expended in the public interest, to have the work carried out by the Authority, it may require the Project Director to carry out such work according to the plan.

#### **7. Recovery of cost**

(1) The costs on account of such work as are executed by the authority under sub-rules (2) and (3) or rule 6 shall be recoverable from the beneficiary in such

proportion as the Authority may fix, after taking into consideration, the benefits or likely benefits to the land of each beneficiary in such proportion as the Authority may fix, after taking into consideration, the benefits or likely benefits to the land of each beneficiary from that work. Such recovery shall be made by the Collector as arrears of land revenue or according to the provisions contained in Section 38 of the Act:

Provided that nothing shall prevent the Authority from taking steps to effect recovery for any completed segment of the work works under the approved plan.

(2) the procedure for recovery as arrears of the land revenue shall be as follows:

(a) the Authority through the Project Director shall get prepared the account of the beneficiary or any particular category of beneficiaries in A.D. (L) Form 15 and serve the same on the beneficiary. A copy of such account shall also be sent the Collector within three months of the completion of the work.

(b) the recovery will be made in such installments and during such period as may be specified by the Authority.

(3) The cost of work so executed shall be recoverable under section 38 of the Act in accordance with the terms and conditions that may be agreed upon, from time to time, between the Authority, the State Government and the Land Development Bank.

#### **8. Maintenance of Registers-**

(1) The following registers shall be maintained in the office of the Project Director:

- (i) register in AD (L) Form 16 showing the progress of work for each approved plan;
- (ii) register in AD(L) Form 17 showing planwise abstract of progress of work done each month:
- (iii) register in AD(L) Forms 18 and 19 the progress of wok will be reported by the project director to the district committee every quarter in AD(L) Form 19;
- (iv) register in AD (L) Form 20 the project Director shall on completion of the work under an approved plan prepare a statement in triplicate in this form, Accompanied by a map showing the exact position of each work by suitable symbols separately for each plan. One copy of the statement shall be retained by the Project director and two copied shall be sent within three months of completion of an approved plan to the Collector for record.

(2) The registers mentioned in clauses (i), (ii) and (iii) above shall indicate separately the work executed by the beneficiaries and the Authority.

#### **9. Fee for copies of documents-**

The public shall have access to all documents and maps pertaining to a plan and copies thereof shall be furnished to any person applying on payment of such fees as may be fixed by the Authority.

**10. Service of notice-** Any notice under the Act and these rules shall be served on the persons concerned either personally or by post under a certificates of posting.

**11. Continuation of Development Works-** Notwithstanding anything contained in these rules, the work or works relating to land development, which have already commenced before the commencement of these rules shall continue to be carried out under the provisions of the Act and rules under which they were sanctioned.

AD (L) FORM 1

See RULE 2(2) (b)

Location extent nature and existing land use of the area to be covered by the plan  
Proposed

Plan.....Block.....tahsil.....District.....  
.....

Sl. NO.	Name of the Village	Area under cultivation including orchards			Tree growth (with 50% or mere coverage)	
		Total Area	Area requiring land development measures	Nature of defect	Total area	Area requiring land development measures
1	2	3	4	5	6	7

Waste Land (with less than 50 percent tree growth)

Nature of defect	Total area	Area requiring land development measures	Nature of defect	Total area	Area requiring land development measures	Remarks
8	9	10	11	12	13	14

AD (L) FORM 2

See RULE 2(2) (c)

Land Development survey and plan (Mechanical Measures)

Proposed plan ..... Block ..... Tahsil ..... District

.....

s. n.	land class	Capability Land use	Khasra Numbers falling in the class	Nature of defects	Area in acres	Recommended land use		Mechanical land developments practices recommended	Rem arks
						Land use	No		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	i	waste 9with loss than 50 percent tree growth) Tree growth (with 50 percent or more coverage) Agriculture				Pastures Afforestation Agriculture			
2	ii	waste tree growth Agriculture				Pastures Afforestation Agriculture			
3	iii	waste tree growth Agriculture				Pastures Afforestation Agriculture			
4	iv	waste tree growth Agriculture				Pastures Afforestation Agriculture			
5	v	waste tree growth Agriculture				Pastures Afforestation Agriculture			

AD (L) FORM 3  
[See RULE 2(2) (c)]

Land Development survey and plan Agronomic measures in  
Agricultural Land

Plan ..... Block  
..... District .....

serial no.	Land use capability class	Khasra number of fields	Interval within which green	Interval and dose of application of	groups recommended to be grown	Fertiliser schedule	Contour farming	Strip cropping and mixed cropping	Hot westhercultivat	other practices	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

AD (L) FORM 4  
[See RULE 2(2) (d)]

Estimate of quantity and cost of "works"

Plan ..... Village..... Block .....Tehsil  
..... District .....

NOTE- Work will be recorded category wise, e.g. leveling. bunding and channels, etc. and totally separately with a Grand total for the Plan as a whole.

Serial No.	Name of Work	Area to be benefitted	Khasra number of fields in which work is to be constructed or done	Specifications Gross Section				Quantity of work	Rate	Total cost	Subsidy		Remarks
				Length	Width	Height	Area				Rate	Amount	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Total F													
Total C F													

AD (L) FORM 5  
[See RULE 2(2) (e)]

Statement showing the details of work along with estimated cost to be executed by Land-holder

Plan .....Village..... Block .....Tehsil  
..... District .....

serial no.	Name of Land holders with Khasra number of fields in which Area	Nature of work	Reference Serial no. in AD(L)	Total estimated cost of	Deduct subsidy (if any)	New estimated cost of the	Remarks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

AD (L) FORM 6  
[See RULE 2(2) (f)]

Statement of works to be carried out by the Authority.

Plan .....Village..... Block .....Tehsil  
..... District .....

Serial No.	Nature of Work	Category of work permanent/ semi permanent /temporary	Reference to Serial number in AD (L) Form-4	Estimated cost of work	Subsidy (if any) admissible	Net cost to be recovered from beneficiary beneficiaries after	Khasra no.	Area	Name of beneficiary with parentage and address	Fraction of work in his share	Khasra no.	Area	Fraction of work in this share	Estimates proportionate net cost to be recovered	remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

AD (L) FORM 7

[See RULE 3 (2)]

Notice for the inspection of the Draft plan and filling of objections  
In the office of the Project Director:

No.....

Date.....

Whereas the draft land development plan..... in respect of village/ villages..... Block..... Tehsil.....District ..... has been prepared. It is hereby proclaimed that the aforesaid draft plan is available for inspection free of charge in the undermentioned places on any working day between 10 a.m. and 4 p.m.

1. Office of the project Director..... or
2. Office of the KhandVikasAdhikari.....or
3. Office of the Gram Sabha.....

Any person affected by the draft plan may file objection, if any, relating to the said plan within a period of 30 (Thirty) days from the date of publication. The objections shall be addressed to the Project Director and may be filed in the office of any of the following officials:

- (1) Project Director.....
- (2) KhandVikasAdhikari.....
- (3) Pradhan Gram Sabha.....

Project Director

AD (L) FORM 8  
[See RULE 5 (1)]

Notice for the appearance of objectors before the Project

Director

In the Office of the Project Director.

No.....

Date.....

To,

Sri.....son of.....  
resident of .....  
Khasra numbers .....  
village ..... Block ..... Tehsil

.....  
Whereas you have raised objection to the draft land development Plan ..... prepared for your village . You are hereby directed to appear personally or through your agent (along with such documents and witnesses as you may deem necessary in support of your (case) before undersigned on ..... ate (Villager/ Office .....at (time .....) falling which your objection shall be decided exparte.

Project Director

.....

AD (L) FORM 9  
[See RULE 5 (1)]

Notice for the appearance of persons who are affected by the proposals submitted by the objection under rule 5(3) rule 5(4) of the rules made under U.P. Area Development Act, 1976.

In the Office of the Project Director.

No.....

Date.....

To,

Sri.....son of.....resident of .....  
..... Where Sri ....., Son of .....  
..... resident of ..... has filled an objection against the draft plan .....which affects your land, you hereby directed to appear personally or through your agent before the undersigned on ..... at village/ office ..... office .....at ( time .....date.....) falling which the case shall be decided exparte.

A copy of the aforesaid objection is enclosed.

Project Director

.....

AD (L) FORM 10

[See RULE 5 (3)]

Statement of objections received and the report of the project Director

Date/Dates of hearing .....

Plan ..... village ..... block ..... tehsil

..... district .....

s. no.	Name of the Objector with address and parentage	Khasra number of field/ fields in which objection has been raised.	Area	Nature of objection	Likely or consequential changes required if the objection is sustained with details of persons and land so effected			Report of Project Director	Remarks
					Likely change	Khasra No.	Owner with		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

AD (L) FORM 11  
[See RULE 5 (7)]  
(Notice for filling objections on the revision of the plan)

Project Office

.....  
In the office of the Chairman .....CAD  
Authority .....

No.....

Date.....

To,

Sri .....son of .....resident of  
..... village ..... Block  
..... Tehsil  
.....

WHEREAS the following revision has become necessary in the draft of land development plan ..... prepared for your village, you are directed to file objections, if any, within a period of 15 (fifteen) days from the date of this notice.

The objections addressed to the undersigned shall be received on any working day between 10:00 a.m. and 4:00 p.m. at any of the following places:

- (1) Office of the Project Director .....
- (2) office of the KhandVikasAdhikari .....
- (3) Pradhan Gram Sahba.....

Project

Director/Chairman

.....



AD (L) FORM 13

[See RULE 6 (1)]

Notice for the execution of the approved plan in the office of the Project Director.....

No. ....

Date .....

To,

Sri ..... son of ..... resident of  
..... village..... block.....  
tahsil.....

WHEREAS the plan ..... under section 15 of the U.P.  
Area Development Act, 1976 has been approved by the State Government  
..... you are directed to do/does'nt from  
doing the following acts :-

serial no.	Khasra no.	Area of the field	works to be executed	Acts not to be done	Last date by which the work should
1	2	3	4	5	6

If you do not comply with these directions within the period given above, the undersigned shall get the work done and may recover the cost from you as arrears of Land Revenue under sections 17 (1) and 37 of the Uttar Pradesh Area Development Act, 1976.

Project Director

A.D. (L) FORM 14  
[See Rule 6 (2)]  
Reply form

Date .....

To,  
Project Director  
.....

Sir,  
I/we.....son of..... resident  
of.....Village.....

Block..... Tahsil..... District..... am/are the beneficiary/beneficiaries in respect  
of the land detailed below for which plan.....has been made final under the Uttar  
Pradesh Area Development Act, 1976

Serial number.	Khasra number	Area of the field	Works to be executed	Act not to be done	Last date by which. the work should be completed	Works which the applicant will execute in time	Works which the applicant is unable to execute	Reasons for the inability to execute works
1	2	3	4	5	6	7	8	9

On account of reasons given in column 9 above I am/we are unable to execute works detailed in column 8.....

it is. therefore, requested that these works may be get executed on my/our behalf and cost recovered from me/us in such manner as prescribed.

Signature of applicants.  
.....

A.D. (L) FORM 15

[See Rule 7(2) (a)]

Statement of demand from beneficiaries

Name of beneficiary with parentage and full address..... Plan.....  
 Village.....  
 Block.....  
 Tehsil.....  
 District.....

<u>Area benefited</u>					<u>Amount recoverable on account of work done by Authority .</u>							
Serial number	Name of work	Date of completion	Khasra number	Area	Net cost incurred	Subsidy admissible (if any)	Cost to be recovered from beneficiary	Number of instalment payable	Rate of interest	Total amount of interest to be paid	Net amount to be recovered from beneficiary (8+11)	Amount per instalment
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Project Director

No. dated

COPY forwarded to Sri....., son of..... resident of Village.....,Block..... Tehsil..... District..... with the remark that a sum of Rs..... has been incurred by Authority on his land under section 17 of U.P. Area Development Act, 1976, as per details given above and that a subsidy of Rs..... is allowed to him. The balance of Rs..... together with interest will be recovered from him in..... instalments of Rs..... such as arrears of land revenue falling due on each year. The first instalment shall start from.....

Project Director.....

No.....

Dated.....

COPY forwarded to Collector..... for information and necessary action.

Project Director

A.D. (L) FORM 16

(Sec Rule 8 (1) (i))

Works Progress Register

Date on which the plan become final.....

Plan..... Village..... Block.....

Tahsil..... District.....

All the works provided in the plan (A.D. Form 4) shall be copied down. Other details shall be filled in as the work goes on being completed.

Work done by Beneficiary/Authority:

Serial no.	* Name of work including survey	Name/percentage and address of beneficiary	Khasra no. of fields in which work is constructed or done	Area to be benefited	Specifications					Quantity of work done	Rate	Total cost incurred	Date of completion	Rate	Amount	Subsidy admissible
					Length	Width	Height	Area	Cross Section							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		

"individual works shall be recorded categorywise e.g., levelling, building/channels, etc. and totalled separately with a total for the plan as a whole.

A.D. (L) FORM 17

[See Rule 8 (1) (ii)]

Block Progress of work Register

Block..... Tahsil..... District..... Month..... work done by Beneficiary/Authority.

											<u>Subsidy Admissible</u>
Serial no,	Name of work including survey	*Name of plan	Date on which the plan became final	Area benefitted	Quantity of work done	Rate	Total cost incurred	Rate	Amount	Remarks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

\*Only totals of various works will be lifted from progress of work register A.D. (L) Form (16) and recorded here. Work will be recorded category wise with totals for each category of work.

A.D. (L) FORM 18

[See Rule 8 (1) (iii)]

District Progress of work Register

District..... Month..... Quarter..... work done by Beneficiary/Authority.

										<u>Subsidy Admissible</u>
Serial no,	Name of work including survey	Block/District	Area benefitted	Quantity of work done	Rate	Total cost incurred	Rate	Amount	Remarks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Register in A.D. (L) Form 19 [See Rule 8 (1) (iii)]

Report for the quarter ending..... District.....

Serial no.	Block/District	Target for the year	Area Surveyed	Number of Plan made final	Total of new work Provided			Balance of previous work			Total			Work done during the quarter			Balance left		
					Name of work	Quantity	Area	Name of work	Quantity	Area	Name of work	Quantity	Area	Name of work	Quantity	Area	Name of work	Quantity	Area
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Register in A.D. (L) Form 20 [See Rule 8 (1) (iv)]

Statement of works, rights and liabilities

Plan.....Village..... Block..... Tahsil.....  
District.....

Serial no.	Work constructed	Specification	Khasra no. of field on which constructed	Area occupied by structure	Area benefitted		Name of beneficiary/beneficiaries with percentage and residence	Name with percentage and residence of owner of land if he is other than beneficiary	Date of taking over possession of land occupied by the structure	Rights of beneficiaries	Liabilities of beneficiaries	Remarks
					Khasra no.	Area						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

By order,  
VINOD KUMAR  
DIXIT  
Sachiv.



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 2 जून 1979ई0 (ज्येष्ठ 12, 1901शक संवत्)

भाग-1क

नियम-कार्य-विधियाँ, आज्ञाएँ, विज्ञप्तियाँ इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद ने जारी किया।

**क्षेत्रीय विकास विभाग**

30अप्रैल, 1979ई.

सं. 1268/54-1-79सीएडी-123 (3)-78--उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 51, 1976) की धारा 53 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-

उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (भूमि विकास) नियमावली, 1979

**1-संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-** 1-यह नियमावली उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (भूमि विकास) नियमावली, 1979 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

**2-योजना तैयार करना-** (1) 'जिला समिति' या तो स्वप्रेरणा से या चक सभा की संस्तुति पर यह संकल्प पारित कर सकती है कि जिले या उसके किसी भाग में उक्त अधिनियम के अधीन भूमि विकास का कार्य सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा प्रारम्भ किया जाय।

(2) उप नियम (1) के अन्तर्गत जिला समिति का संकल्प प्राप्त होने पर या स्वप्रेरणा से प्राधिकारी परियोजना निदेशक से योजना का प्रारूप तैयार करने की अपेक्षा कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित बातें दी जायेंगी-

(क) नीचे उप नियम (3) में यथा इंगित श्रेणी को उल्लेख करते हुए निष्पादित किए जाने वाले कार्य या निर्माण कार्यो का विवरण;

(ख) क्षेत्र विकास (भूमि) प्रपत्र-1 में योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र की स्थिति विस्तार प्रकार और वर्तमान भू-उपयोग।

(ग) क्षेत्र विकास (भूमि) प्रपत्र-2 और 3 में मुद्रा एवं तलरूप सर्वेक्षण न्यास और योजना जिसके साथ सामान्यतः 1:4000 के पैमाने पर भूमानचित्र और सामान्यतः 1:2000 के पैमाने पर स्थल रूपरेखीय एवं योजना मानचित्र होंगे;

(घ) क्षेत्र विकास (भूमि) प्रपत्र-4 में निर्माण कार्यो या कार्यो और उसके प्रावस्थाओं में अन्तर्गत अनुमानित परिणाम और लागत।

(ङ) क्षेत्र विकास (भूमि) प्रपत्र-5 में सम्बद्ध क्षेत्रपतियो द्वारा निष्पादित किए जाने वाले निर्माण कार्य के ब्योरे और उनसे प्रोद्भूत होने वाले लाभ व सम्भावित लाभो का अनुमानित लागत सहित विवरण।

(च) क्षेत्र विकास (भूमि) प्रपत्र-6 में, प्राधिकारी द्वारा किए जाने वाले निर्माण कार्य या कार्यो का अन्तर्गत लागत सहित विवरण।

(छ) निर्माण कार्य (यदि कोई हो) की प्रत्येक मद के लिए 10000 रु. (केवल दस हजार रुपये) से के चिनाई कार्यो के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस निमित्त विहित सुसंगत प्रपत्रों में विस्तृत योजना उनकी लागत।

(ज) योजना का क्षेत्रवार और निर्माणकार्य दोनों के अनुसार प्रावस्थाभाजन;

(झ) सरकारी विभागो या स्थानीय निकायो के कर्मचारी वर्ग या अन्य कर्मचारी वर्ग जिनकी सेवाओ प्राधिकारी को योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यकता होगा;

(ञ) लाभार्थियो पर उद्ग्रहणीय परिव्यय या देय;

(ट) अधिनियम की धारा 27 के अधीन उद्ग्रहणीय समुन्नति फीस;

(ठ) ऐसे विभाग या अन्य अभिकरण जो तत्समय ऐसे निर्माण कार्यो को कार्यान्वित कर रहे हैं।

(3) किसी लाभार्थी को प्रोद्भूत हो सकने वाली लाभ की सीमा का अवधारण करने की दृष्टि से किसी योजना के अधीन निर्माण कार्य को स्थानीयदशा के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित तीन वर्गों में श्रेणीकृत किया जा सकता है-

स्थायी	अर्द्ध-स्थायी	अस्थायी
सभी प्रकार की चिनाई रचना, भूमि को समतल बनाना, तालाबों का निर्माण, अवभूमि जल निकालने के लिए संस्थापन जिप्सम का प्रयोग करना या अन्य सुधार जलोत्सारण कटाव की द्वार अवक्षालन करना, वृक्षों का रोपण करना जिसके अन्तर्गत वायुरोधी (विन्ड ब्रेक) सोपान वेदिका (बेंचटेरेस) का निर्माण, चारागाह, चकरोड बनाना, लघु सिंचाई और विभिन्न जल प्रबन्ध कार्य करना जिसके अन्तर्गत सिंचाई जल कुल्पाओं का निर्माण भी है।	बाँध बनाना जिसके अन्तर्गत मेड़, डोल, बन्धी, कन्दूर बाँध, सीमान्त बाँध, परिपार्श्वबाँध, मिट्टी रोक बाँध व खेल जलकुत्प (गूल) का निर्माण भी है, बाँधों या जलमार्गों एवं अन्य मिट्टी बन्धक घास लगाना और स्तम्भ-1 में दिखाये गये निर्माण कार्य का अनुरक्षण।	समोच्च कृषि भूमि जल को निकालना, छाँटना, उगाना, हरी खाद डालना, गोबर की खाद का प्रयोग और स्तम्भ-2 में दिखाये गये मूल निर्माण कार्य के अनुरक्षण।

**3-योजना के प्रारूप का प्रकाशन—**(1) नियम-2 के अधीन योजना का प्रारूप तैयार कर लिए जाने के पश्चात् उसे सम्बन्धित जिला समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जायेगा जो उसे देवनागरी लिपि में प्रकाशित किसी स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए आदेश देगी।

(2) प्रकाशन के पश्चात् परियोजना निदेशक क्षेत्र विकास (भूमि) प्रपत्र-7 में एक नोटिस तैयार करेगा जिसमें वह स्थान और समय दिया जायेगा जहाँ और जब जन-साधारण के निरीक्षण के लिए योजना का प्रारूप निःशुल्क उपलब्ध होगा।

(3) नोटिस को कलेक्टर, परियोजना निदेशक, तहसीलदार और खण्ड विकास आधिकारी के कार्यालय के सहजदृश्य स्थानों पर चिपकाया जायेगा। इसे उन ग्रामों में भी जिनसे उसका सम्बन्ध हो, डुग्गी पिटवाकर अधिसूचित किया जायेगा और उस अभिलेख रखा जायेगा जो उस क्षेत्र के कम से कम दो उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा सम्यक् रूप से साक्षित होगा। साधारणतया साक्षियों में से एक साक्षी सम्बद्ध गाँव का प्रधान होगा।

**4-चक समिति द्वारा आपत्तियाँ प्रस्तुत करना—**(1) परियोजना निदेशक द्वारा योजना के प्रारूप की एक प्रति उस कुलाबा के स्थित क्षेत्र में भेजी जायेगी, जिसमें निर्माण कार्य किया जाना हो। चक समिति इस प्रयोजन के लिए बुलायी गयी विशेष बैठक में उस पर चर्चा करेगी, और प्रारूप की प्राप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर परियोजना निदेशक को लिखित रूप में आपत्तियाँ, यदि कोई हो, कर सकती है, जिसमें निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किया जायेगा—

(एक) उस भूमि का ब्योरा, जिसके सम्बन्ध में आपत्ति की जाये;

(दो) कुलाबा का सिक्त क्षेत्र, ग्राम और तहसील जिसमें भूमि स्थित हो।

(तीन) आपत्ति का प्रकार और प्रस्तावित योजना से भूमि का होने वाली सम्भव हानि का पूरा ब्योरा;

(चार) क्या योजना का रूपान्तरण—

(क) योजना के प्रारूप के अन्तर्गत आने वाले किसी विशिष्ट क्षेत्र के सम्बन्ध में या;

(ख) योजना के प्रारूप के अन्तर्गत आने वाले सम्पूर्ण क्षेत्र में सम्बन्ध में किया जाना वांछित है।  
(2) प्रभावित व्यक्तियों द्वारा आपत्तियाँ प्रस्तुत करना- नियम 3 के उपनियम (2) और (3) के अधीन नोटिस चिपकाये जाने और डुग्गी पीटकर उसका प्रचार किए जाने के पश्चात् कोई भी व्यक्ति, जिस पर योजना के प्रारूप से प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, नोटिस चिपकाये जाने के और डुग्गी पीटकर उसका प्रचार किए जाने के जो भी पश्चातवर्ती हो, दिनांक से तीसदिन के भीतर परियोजना निदेशक को लिखित रूप में आपत्तियां, यदि कोई हों, कर सकता है। ऐसी आपत्तियों में निम्नलिखित सूचना के अतिरिक्त इस नियम के उप नियम (1) के अधीन किसी आपत्ति के लिये यथा अपेक्षित सभी सूचना होगी-

(एक) आपत्तिकर्ता का नाम, पिता का नाम और निवास स्थान, और

(दो) योजना के प्रारूप में सम्मिलित भूमि में आपत्तिकर्ता का हित।

(3) यदि विहित समय के भीतर उप नियम (1) और (3) के अधीन कोई आपत्ति न की जाये तो जिला समिति द्वारा यथा प्रकाशित योजना का प्रारूप प्राधिकारी को उसके विचारार्थ भेज दिया जायेगा।

**5-नोटिस जारी करना और आपत्तियों की सुनवाई-**(1) जहां नियम 4 के उपनियम (1) और (2) के अधीन कोई आपत्ति प्राप्त हो, वहां परियोजना निदेशक आपत्तिकर्ताओं को क्षेत्र विकास (भूमि) प्रपत्र-8 में और अन्य व्यक्तियों को, यदि कोई हो, जिन पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, क्षेत्र विकास (भूमि) प्रपत्र-9 में नोटिस जारी करेगा।

(2) परियोजना निदेशक आपत्तियों की सुनवाई सम्बन्धित ग्रामों में ही करेगा, जब तक कि उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, परियोजना निदेशक किसी अन्य स्थान पर उनकी सुनवाई करने का विनिश्चय न करें।

(3) आपत्तियों की सुनवाई करने के पश्चात् परियोजना निदेशक यथा शीघ्र ऐसी आपत्तियों पर अपनी रिपोर्ट जिला समिति को क्षेत्र विकास (भूमि) प्रपत्र-10 में प्रस्तुत करेगा।

(4) जिला समिति आपत्तियों पर और उपनियम (3) के अधीन प्रस्तुत परियोजना निदेशक की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् किसी परिष्कार सहित या परिष्कार रहित योजना को अनुमोदित कर सकती है, और इस प्रकार अनुमोदित जिला समिति द्वारा प्राधिकारी को विचारार्थ भेज दी जायगी।

(5) यदि जिला समिति उप नियम (3) के अधीन परियोजना निदेशक की रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के दिनांक से दो मास की अवधि के भीतर योजना को भेजने में, जैसा कि उपनियम (4) में उपबंधित है, विफल रहती है तो परियोजना निदेशक योजना को आपत्तियों पर अपनी रिपोर्ट सहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(6) प्राधिकारी, यथास्थिति, उप नियम (4) या (5) के अधीन प्रस्तुत योजना पर विचार कर सकता है, और उसमें ऐसे परिवर्तन कर सकता है जो उसकी राय में अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो और उसे अनुमोदित कर सकता है।

परन्तु किसी सम्बद्ध क्षेत्रपति के प्रतिकूल कोई ऐसा परिवर्तन, उस मामले में सुनवाई का अवसर दिये बिना नहीं किया जायेगा।

(7) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि परियोजना निदेशक या प्राधिकारी के अध्यक्ष का स्वयं या योजना के प्रारूप में हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पत्र पर, योजना के प्रारूप में किसी आकस्मिक चूक या झूट से उत्पन्न किसी

लिपिकीय या अंकीय भूल या गलती के सम्बन्ध में समाधान हो जाये तो वह क्षेत्रीय विकास (भूमि) प्रपत्र-11 में नोटिस जारी करने के पश्चात् उसे ठीक कर सकता है।

(8) उपनियम (6) के अधीन योजना का प्रारूप, अनुमोदित करने और भूल और गलतियों को, यदि कोई हो, ठीक करने के पश्चात् प्राधिकारी योजना का प्रारूप राज्य सरकार को उसके अनुमोदन के लिये क्षेत्र विकास (भूमि) प्रपत्र-12 में प्रस्तुत करेगा, जिसमें अधिनियम की धारा-14 की उपधारा (1) में उल्लिखित ब्योरे समाविष्ट होंगे।

**6--अनुमोदित योजना का निष्पादन-** (1) परियोजना निदेशक प्राधिकारी की ओर से क्षेत्र विकास (भूमि) प्रपत्र-13 में नोटिस द्वारा किसी लाभार्थी से अपनी लागत पर ऐसा कोई कार्य जिसे किसी अनुमोदित योजना के अधीन उसके द्वारा किया जाना है, नोटिस में उल्लिखित रीति से और अवधि के भीतर करने की अपेक्षा कर सकता है।

(2) यदि कोई लाभार्थी उप नियम (1) के अधीन दी गयी नोटिस के पन्द्रह दिन के भीतर परियोजना निदेशक के माध्यम से प्राधिकारी को क्षेत्र विकास (भूमि) प्रपत्र-14 में निम्नलिखित सूचना देता है कि वह नोटिस में उल्लिखित अवधि के भीतर निर्माण कार्य को करने में असमर्थ है या यदि ऐसा निर्माण-कार्य इस निमित्त निर्धारित दिनांक तक या ऐसे अग्रतः बढ़ाये गये समय के भीतर जिसकी उसे अनुमति दी जाये, प्राधिकारी के संतोषानुसार न किया जाय तो प्राधिकारी उसकी ओर से निर्माण-कार्य स्वयं करायेगा।

(3) उप नियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी जहाँ किसी प्रक्रम पर प्राधिकारी की यह राय हो कि हित में, प्राधिकारी द्वारा निर्माण-कार्य कराया जाना समीचीन होगा तो यह परियोजना निदेशक से योजना के अनुसार निर्माण कार्य कराने की अपेक्षा कर सकता है।

**7--लागत की वसूली-**(1) ऐसे निर्माण कार्यों के कारण जो नियम 6 के उप नियम (2) और (3) के प्राधिकारी द्वारा निष्पादित किये जाये, लागत लाभार्थी से उस निर्माण-कार्य से प्रत्येक लाभार्थी की भूमि को हुए सम्भावित लाभ को ध्यान में रखने के पश्चात् ऐसे अनुपात में वसूल किये जाने योग्य होगी जैसा प्राधिकारी नियत करें वसूली कलेक्टर द्वारा, भू-राजस्व की बकाया की भांति या अधिनियम की धारा-38 में दिये गये उपबन्धों के अनुसार जायेगी:

परन्तु कोई बात प्राधिकारी को अनुमोदित योजना के अधीन निर्माण कार्य, कार्यों के किसी पूर्ण खंड के लिये वसूली संबंध में कोई कार्यवाही करने से नहीं रोकेगी।

(2) भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी-

(क) प्राधिकारी परियोजना निदेशक के माध्यम से लाभार्थी या लाभार्थी की किसी विशिष्ट श्रेणी का लेखा विकास (भूमि) प्रपत्र-15 में तैयार करायेगा और उसे लाभार्थी परतामील करायेगा। ऐसे लेखे की एक प्रति कार्य पूरा होने के तीन मास के भीतर कलेक्टर को भी भेजी जायेगी।

(ख) वसूली ऐसी किस्तों में और ऐसी अवधि में की जायेगी जैसी प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय ।

(3) इस प्रकार निष्पादित निर्माण-कार्य की लागत अधिनियम की धारा 38 के अधीन ऐसे निबंधनों और शर्तों के अनुसार वसूल किये जाने योग्य होगी जिन पर समय-समय पर प्राधिकारी, राज्य सरकार और भूमि विकास बैंक के बीच सहमति हो।

8-रजिस्ट्रों का रखा जाना-(1) परियोजना निदेशक कार्यालय में निम्नलिखित रजिस्ट्र रखे जायेंगे ।

- (एक) क्षेत्र विकास (भूमि) प्रपत्र-16 में रजिस्ट्र, जिसमें प्रत्येक अनुमोदित योजना के लिए निर्माण प्रगति दिखाई जायेगी,
- (दो) क्षेत्र विकास (भूमि) प्रपत्र- 17 में रजिस्ट्र, जिसमें योजनावार प्रत्येक मास में किये गये निर्माण संक्षिप्त दिखाई जायेगी,
- (तीन) क्षेत्र विकास (भूमि) प्रपत्र-18 और 19 में रजिस्ट्र परियोजना निदेशक द्वारा निर्माण कार्य की प्रगति क्षेत्र विकास (भूमि) प्रपत्र-18 में जिला समिति को प्रत्येक तिमाही में और क्षेत्र विकास (भूमि) प्रपत्र-19 में प्राधिकारी को सूचित की जायेगी।
- (चार) क्षेत्र विकास (भूमि) प्रपत्र-20-परियोजना निदेशक किसी अनुमोदित योजना के अधीन निर्माण कार्य के पूरा होने पर इसमें तीन प्रतियों में, एक विवरण-पत्र तैयार करेगा जिसके साथ एक मान-चित्र होगा जिसमें प्रत्येक योजना के लिये पृथक-पृथक उपयुक्त संकेतों द्वारा प्रत्येक निर्माण कार्य की ठीक-ठीक स्थिति दिखाई जाएगी। विवरण पत्र की एक प्रति परियोजना निदेशक द्वारा रख ली जायेगी और दो प्रतियां किसी अनुमोदित योजना पूरा होने के तीन मास के भीतर अभिलेख के लिये कलेक्टर को भेज दी जायेगी।
- (2) उपर्युक्त उप नियम (1) के खंड (एक), (दो) और (तीन) में उल्लिखित रजिस्ट्रों में लाभार्थियों और प्राधिकारी द्वारा निष्पादित निर्माण-कार्य पृथक-पृथक इंगित किये जायेंगे।

9-दस्तावेजों की प्रतिलिपियों के लिये फीस-जनता किसी योजना से संबंधित समस्त दस्तावेजों और मानचित्रों को देख सकेगी और उनकी प्रतिलिपियां आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसी फीस का, जैसी प्राधिकारी द्वारा नियत की जाय, भुगतान करने पर दी जायेगी।

10-नोटिस सामील करना-अधिनियम और इस नियमावली के अधीन कोई नोटिस सम्बद्ध व्यक्तियों पर या तो व्यक्तिगत रूप से तामील की जायेगी या प्रेषण प्रमाण-पत्र द्वारा भेजी जायेगी।

11-विकासकार्यों को जारी रखना- इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, भूमि विकास के संबंधित ऐसे निर्माण कार्य या निर्माण कार्यों को जो इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रारम्भ किये जा चुके हैं, उस अधिनियम और नियमों के उपबंधों के अधीन जिसके अधीन वे स्वीकृत किये गये हैं, पूर्ववत्, किया जाता रहेगा।

**क्षेत्र विकास (भूमि) प्रपत्र 1**

**देखिए नियम 2 (2) (ख),**

योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र की स्थिति, विस्तार, प्रकार और वर्तमान भू-उपयोग

प्रस्तावित योजना.....खण्ड..... तहसील..... जिला.....

क्र. सं-	ग्राम का नाम	कृषि के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र जिसमें फलोद्यान क्षेत्र भी सम्मिलित है।			वृक्षोत्पत्ति (50 प्रतिशत या उससे अधिक सघनता वाले क्षेत्र सहित)				बंजर भूमि (जहां वृक्षोत्पत्ति 50 प्रतिशत से कम है)				योग
		कुल क्षेत्र	क्षेत्र जिसमें विकास कार्यवाहियां अपेक्षित है	भूमि किस प्रकार का दोष है	कुल क्षेत्र	क्षेत्र जिसमें विकास कार्यवाहियां अपेक्षित है	भूमि किस प्रकार का दोष है	कुल क्षेत्र	क्षेत्र जिसमें विकास कार्यवाहियां अपेक्षित है	भूमि किस प्रकार का दोष है	कुल क्षेत्र	क्षेत्र जिसमें विकास कार्यवाहियां अपेक्षित है	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

क्षेत्र विकास (भूमि) प्रपत्र 2

देखिए नियम 2 (2) (ग),

भूमि विकास सर्वेक्षण और योजना (जो यांत्रिक क्रियाओं से सम्बन्धित है) ( )

प्रस्तावित योजना..... ग्राम..... खण्ड..... तहसील..... जिला.....

क्रम सं	भूमि की क्षमता श्रेणी	भू-उपयोग	उक्त वर्ग में आने वाली खसरा संख्या	किस प्रकार का दोष है	क्षेत्रफल एकड़ों में	भू-उपयोग जिसकी संस्तुति की गयी है	भू-उपयोग खसरा संख्या	यांत्रिक भूमि विकास संबंधित कार्य-प्रणालियाँ जिनकी संस्तुति की गयी हो	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	(एक)	बंजर भूमि (जहां वृक्षोत्पत्ति 50 प्रतिशत से कम हो)	वृक्षोत्पत्ति (50 प्रतिशत या उससे अधिक सघनता वाले सीमा क्षेत्र वाली)			चरागाह			
						वनरोपण			
						कृषि			
2	(दो)	बंजर भूमि में वृक्षोत्पत्ति				चरागाह			
						वनरोपण			
						कृषि			
3	(तीन)	बंजर भूमि में वृक्षोत्पत्ति				चरागाह			
						वनरोपण			
						कृषि			
4	(चार)	बंजर भूमि में वृक्षोत्पत्ति				चरागाह			
						वनरोपण			
						कृषि			
5	(पाँच)	बंजर भूमि में वृक्षोत्पत्ति				चरागाह			
						वनरोपण			
						कृषि			
6	(छः)	बंजर भूमि में वृक्षोत्पत्ति				चरागाह			
						वनरोपण			
						कृषि			
7	(सात)	बंजर भूमि में वृक्षोत्पत्ति				चरागाह			
						वनरोपण			
						कृषि			
8	(आठ)	बंजर भूमि में वृक्षोत्पत्ति				चरागाह			
						वनरोपण			
						कृषि			



**क्षेत्र विकास (भूमि) प्रपत्र 4**  
**देखिये, नियम 2 (2) (घ),**  
**“निर्माण कार्यों” के अनुमानित परिमाण और लागत**

योजना ..... ग्राम ..... खण्ड ..... जिला.....  
 ...

टिप्पणी-कार्य का अभिलेखन श्रेणीवार किया जायेगा अर्थात्, समतल करना, बांध बनाना और गूलें बनाना आदि और प्रत्येक श्रेणी का पृथक-पृथक योग निकाल कर कुल योजना के लिये महायोग निकाला जाये।

क्रम संख्या	कार्य का नाम	लाभान्वित होने वाला क्षेत्र	खेतों की खसरा संख्या जिनमें निर्माण अथवा कार्य किया जाने वाला है।	विशिष्टियाआड़ी काट				कार्य का परिमाण	दर	कुल लागत	दर	अनुदान धनराशि	अभ्यु क्त
				लम्बाई	चैड़ाई	ऊँचाई	क्षे त्र						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

**क्षेत्र विकास (भूमि) प्रपत्र-5**

**देखिये नियम 2 (2) (ङ),**

सम्बन्धित क्षेत्रपतियों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले निर्माण-कार्य के साथ-साथ अनुमानित लागत के ब्योरे का विवरण-  
पत्र

योजना..... ग्राम..... खण्ड..... तहसील..... जिला

क्रम संख्या-	क्षेत्रपतियों तथा उनके पिता का नाम एवं निवास स्थान	खेतों की खसरा संख्या जिनमें कार्य किया जाना है।	क्षेत्र फल	किस प्रकार का कार्य है।	क्षेत्र विकास (भूमि) प्रपत्र-4 में निर्देशित क्रम संख्या	कार्य की कुल अनुमानित लागत	घटाइये अनुदान (यदि कोई हो)	कार्य की शुद्ध अनुमानित लागत	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**क्षेत्र विकास (भूमि) प्रपत्र-6**

**देखिये नियम 2 (2) (च),**

प्राधिकारी द्वारा किये जाने वाले निर्माण-कार्य का विवरण

परियोजना..... ग्राम..... खण्ड..... तहसील..... जिला.....

क्रम संख्या	किस प्रकार का कार्य है	कार्य की श्रेणी स्थायी/अर्द्धस्थायी, अस्थायी	क्षेत्र विकास (भूमि) प्रपत्र-4 में क्रम संख्या का संदर्भ	कार्य की अनुमानित लागत	अनुमन्य अनुदान (यदि कोई हो)	अनुदान की धनराशि निकाल दिये जाने के बाद लाभार्थी/लाभार्थियों से वसूल की जाने वाली शुद्ध धनराशि
1	2	3	4	5	6	7

लाभान्वित होने वाली भूमि	लाभार्थी का नाम पिता का नाम और पता	उसके अंश में कार्य का भाग लाभान्वित होने वाली भूमि	उसके अंश में कार्य का नाम	अनुमानित/अनुपातिक वसूल की जाने वाली शुद्ध लागत	अभ्युक्ति
खसरा संख्या	क्षेत्रफल	खसरा संख्या	क्षेत्रफल		
8	9	10	11	12	13

14 15

**क्षेत्र विकास (भूमि) प्रपत्र-7**

**देखियेनियम 3 (2),**

योजना के प्रारूप का निरीक्षण तथा आपत्तियाँ प्रस्तुत करने के लिये नोटिस

परियोजना निदेशक के कार्यालय में

संख्या.....

दिनांक.....

चूँकि ग्राम/ग्रामों..... खण्ड..... तहसील..... जिला..... से सम्बन्धित भूमि विकास योजना का प्रारूप तैयार हो चुका है, एतद्वारा यह उद्घोषित किया जाता है कि उक्त योजना का प्रारूप निम्नलिखित स्थानों पर किसी भी कार्य दिवस को पूर्वान्ह 10 बजे से अपरान्ह 4 बजे के बीच निरीक्षण किये जाने के लिये निःशुल्क उपलब्ध रहेगा।

1-परियोजना निदेशक..... का कार्यालय अथवा

2-खण्ड विकास अधिकारी..... का कार्यालय अथवा

3-ग्राम सभा..... का कार्यालय।

योजना के प्रारूप से प्रभावित होने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्तियां यदि कोई उक्त योजना से सम्बन्धित हों, इस डुग्गी पीट कर प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकता है। आपत्तियां परियोजना निदेशक को सम्बोधित की जायेगी और निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

1-परियोजना निदेशक.....

2-खण्ड विकास अधिकारी.....

3-प्रधान, ग्राम सभा.....

परियोजना निदेशक.....

क्षेत्र विकास (भूमि) प्रपत्र-8

देखियेनियम 5 (1)

आपत्तियों के सम्बन्ध में परियोजना निदेशक के समक्ष उपस्थित होने के लिये नोटिस परियोजना निदेशक के कार्यालय में

संख्या. ....

दिनांक. ....

सेवा में,

श्री. .... आत्मज

श्री. .... निवासी. .... खसरा

संख्या. .... ग्राम. .... विकास

खण्ड. .... तहसील. ....

चूंकि आपने अपने ग्राम के लिये तैयार किये गये भूमि विकास योजना के प्रारूप के सम्बन्ध में आपत्तियां उठाई हैं, एतद्वारा आपको निदेश दिया जाता है कि आप (ऐसे लेखों तथा साक्षियों सहित, जिन्हें आप अपने वाद के समर्थन में आवश्यक समझें) स्वयं अपने अभिकर्ता के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के समक्ष (ग्राम/कार्यालय)..... पर  
..... बजें (पूर्वान्ह/अपरान्ह) उपस्थित हो। यदि आप उपस्थित नहीं होंगे तो आपकी आपत्ति पर एक पक्षीय निर्णय दे दिया जायेगा।

परियोजना निदेशक. ....

क्षेत्र विकास (भूमि) प्रपत्र-9

देखिये नियम 5(3)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अधीन बनाई गई नियमावली के नियम 5 (3) नियम 5 (4) के अधीन आपत्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों से प्रमाणित होने वाले व्यक्तियों को उपस्थित होने के लिये नोटिस।

परियोजना निदेशक के कार्यालय में.....

संख्या.....दिनांक.....

सेवा में, ]

श्री..... आत्मज श्री

..... निवासी.....

चूंकि

श्री..... आत्मज..... निवासी.....

.....ने.....के उस योजना के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत की है, जिससे आपकी भूमि पर प्रभाव पड़ता है, अतः एतद् द्वारा आपको निदेश दिया जाता है कि आप स्वयं अथवा अपने अभिकर्ता के माध्यम से दिनांक.....को.....बजे (पूर्वान्ह/अपरान्ह) ग्राम/कार्यालय.....पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। यदि आप उपस्थित न होंगे तो बाद के सम्बन्ध में एक पक्षीय निर्णय दे दिया जाएगा।

पूर्वोक्त आपत्ति की एक प्रतिलिपि संलग्न है।

परियोजना निदेशक.....

क्षेत्र विकास (भूमि) प्रपत्र-10

देखिये नियम 5 (3),

प्राप्त आपत्तियों का विवरण तथा परियोजना निदेशक की रिपोर्ट/सुनवाई का/के दिनांक.....

योजना.....ग्राम.....विकास

खण्ड.....तहसील.....जिला.....

क्रम संख्या	आपत्तिकर्ता का नाम व पिता का नाम व पता	खेत/खेतों की खसरा संख्या जिसके/जिनके सम्बन्ध में आपत्ति उठाई गयी है।	क्षेत्रफल	किस प्रकार की आपत्ति है।	यदि आपत्ति मान ली जाती है, तो अपेक्षित संभावित अथवा परिणामी परिवर्तन इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों तथा भूमि के ब्योरे सहित			परियोजना निदेशक की रिपोर्ट
					संभावित परिवर्तन	खसरा संख्या	पिता के नाम सहित स्वामी का नाम तथा पता	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

क्षेत्र विकास (भूमि) प्रपत्र-11

देखियेनियम 5(7),

योजना के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में आपत्तियाँ प्रस्तुत करने के लिए नोटिस

परियोजना निदेशक .....अध्यक्ष, समादेश क्षेत्रीय  
विकास प्राधिकारी (सी0 ए0 डी0 अथारिटी).....के  
कार्यालय में।

संख्या.....

दिनांक.....

सेवा में,

श्री.....आत्मज.....  
..... निवासी ग्राम .....  
खण्ड.....तहसील.....

चूंकि आपके ग्राम के लिए तैयार की गई भूमि विकास योजना.....के प्रारूप में  
निम्नलिखित पुननिरीक्षण आवश्यक हो गया है, आपको निदेश दिया जाता है कि (आप अपनी) आपत्तियां, यदि कोई हों,  
इस नोटिस के दिनांक से 15 (पन्द्रह) दिनों के भीतर प्रस्तुत कर दें।

अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित आपत्तियां किसी भी कार्य-दिवस को 10 बजे पूर्वान्ह से 4 बजे अपरान्ह तक  
निम्नलिखित किसी भी स्थान पर प्राप्त की जायेगी।

(1) परियोजना/ निदेशक

.....का कार्यालय

(2) खण्ड विकास अधिकारी.....का  
कार्यालय

(3) प्रधान ग्राम

सभा.....

..

परियोजना/निदेशक/अध्यक्ष

क्षेत्र विकास (भूमि) प्रपत्र-12

देखिये नियम 5(8),

भूमि विकास योजना का प्रारूप:

क्रम संख्या	क्षेत्र विकास इकाई	परियोजना का नाम	परियोजना का स्थान	परियोजना का क्षेत्र	लाभार्थियों की कुल संख्या	कार्य किस प्रकार का है और उसका परिमाण					
						सिंचाई कच्ची (किलो-मीटर)	गूले पक्की (किलो-मीटर)	संरचनाओं की संख्या	जल निकास नालियाँ	चकमार्ग (कि०मी०)	भूमि संरूपण (हेक्टर)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
कुल योग											
निष्पादित किए जाने वाले कार्य का क्रम विभाजन (फेजिंग)											
प्रथम वर्ष						द्वितीय वर्ष					
निर्माण कार्यों का लागत पर विकास (ओ०एफ०डी०) कार्य किया जाना है	क्षेत्रफल (हेक्टरों) जिस क्षेत्र विकास (ओ०एफ०डी०) कार्य किया जाना है	सिंचाई कच्ची कि०मी०	गूले पक्की कि०मी०	संरचनाओं की सं०	जल निकास गलियाँ	चकमार्ग (चकरोड) कि०मी०	भूमि संरूपण (हेक्टरों) हेक्टरों	क्षेत्रफल (हेक्टरों) जिस पर प्रक्षेत्र विकास (ओ० एफ० डी०) कार्य किया जाना है।	सिंचाई कच्ची कि०मी०	गूले पक्की कि०मी०	संरचनाओं की संख्या
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
कुल योग.....											
...											

द्वितीय वर्ष			तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष आदि	व्यय का क्रमविभाजन (फेजिंग)			
जल निकास (कि०मी०)	चकमार्ग (चकरोड) कि०मी०	भूमि संख्या (हेक्टर) कि०मी०			प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष आदि
25	26	27	28	29	30	31	32	33

कुल

योग.....  
.....

निष्पादित किये जाने वाले निर्माण-कार्य											
क्षेत्रपति द्वारा						प्राधिकारी द्वारा					
सिंचाई गूले						सिंचाई गूले					
कच्ची कि०मी०	पक्की कि०मी०	संरचनाओं की संख्या	जलनिकास नालिया कि०मी०	चकमार्ग (चकरोड) कि०मी०	भूमि संरूपण (हे०)	कच्ची कि०मी०	पक्की कि०मी०	संरचनाओं की संख्या	जल निकास मी०	चकमार्ग (चकरोड) कि०मी०	भूमि संरूपण (हे०)
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
कुल											
योग..... .....											

कार्य करने वाले विभाग तथा  
अन्य अभिकरण  
(एजेन्सियां)

सरकारी विभागों अथवा  
स्थानीय निकायों का  
कर्मचारी वर्ग अथवा अन्य  
कर्मचारी वर्ग जिनकी  
सेवाए योजना के  
कार्यान्वयन के लिए  
प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित  
होगी।

लाभार्थियों पर लगाए जाने वाले  
शुल्क अथवा देय

अधिनियम की धारा 37  
अर्थात् लगाया जाने वाला  
विकास शुल्क  
(buttermnt)

46

47

48

49

कुल योग

क्षेत्र विकास (भूमि) प्रपत्र-13

देखिये नियम 6 (1),

अनुमोदित योजना के निष्पादन हेतु नोटिस

परियोजना निदेशक.....के कार्यालय में

संख्या.....

दिनांक.....

सेवा में,

श्री.....आत्मज.....

.....निवासी

ग्राम.....खण्ड.....तहसील.....

चूंकि राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 15 के अधीन.....की योजना अनुमोदित की जा चुकी है, आपको निम्नलिखित कार्य करने/न करने का निदेश दिया जाता है-

क्रम संख्या	खसरा संख्या	खेत का क्षेत्रफल	निष्पादित किये जाने वाले कार्य	न किये जाने वाले कार्य	अंतिम दिनांक जब तक कार्य पूरा हो जाना चाहिये
1	2	3	4	5	6

---

यदि आप ऊपर दिये गये दिनांक तक निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, तो अधोहस्ताक्षरी उक्त कार्य पूरा करवा लेंगे और आपसे उसका व्यय, उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 17 (1) तथा 37 केअधीन भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर लेंगे।

परियोजना निदेशक.....

क्षेत्र विकास (भूमि) प्रपत्र-14

देखिये नियम 6(2),

उत्तर का प्रपत्र

दिनांक.....

सेवा में,

परियोजना निदेशक,

.....

महोदय,

मैं/हम.....आत्मज.....  
..... निवासीग्राम..... खण्ड.....  
..... तहसील..... जिला.....  
.....।

नीचे दिये गये ब्योरे वाली भूमि के सम्बन्ध में लाभार्थी हूँ/है, जिसके लिये..... की योजना को उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 द्वारा अंतिम रूप दिया जा चुका है।

क्रम संख्या	खसरा संख्या	खेत का क्षेत्रफल	निष्पादित किये जाने वाले कार्य	न किये जाने वाले कार्य	अंतिम दिनांक जब तक कार्य पूरा हो जाना चाहिये	कार्य जिन्हें आवेदन समय के भीतर निष्पादित करेगा।	कार्य जिन्हें आवेदन निष्पादित करने में असमर्थ है।	कारण जिनसे कार्य निष्पादन में आसमर्थता हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9

स्तम्भ 9 में दिये गये कारणों से मैं/हम स्तम्भ 4 में दिये गये कार्यों के निष्पादित करने में असमर्थ हूँ/है।

अतएव, अनुरोध है कि इन कार्यों को मेरी/हमारी ओर से निष्पादित करवा दिया जाय और खर्च को यथा निर्धारित तरीके से मुझसे/हमसे वसूल कर लिया जाये।

आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर

.....

क्षेत्र विकास (भूमि) प्रपत्र-15

देखिये नियम 7(2) (क),

लाभार्थियों से मांग का विवरण-पत्र

लाभार्थी का नाम उसके पिता का नाम पूरे पते

सहित.....

..... योजना.....

ग्राम..... खण्ड.....

तहसील..... जिला.....

लाभान्वित क्षेत्र		प्राधिकारी द्वारा निष्पादित कार्य के फलस्वरूप										
क्रम- संख्या	कार्य का नाम	कार्य पूरा होने का दि०	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	किया गया शुद्ध व्यय	अनुमन्य अनुदान (यदि कोई हो)	लाभार्थी से वसूल की जाने वाली लागत	देय किस्तों की संख्या	ब्याज की दर	भुगतान योग्य ब्याज की कुल धनराशि	लाभार्थी से वसूल की जाने वाली शुद्ध धनराशि(8+11)	प्रत्येक किस्त की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

परियोजना निदेशक.....

संख्या..... दिनांक.....

प्रतिलिपि

श्री..... आत्मज.....

निवासी

ग्राम..... खण्ड.....

तहसील..... जिला..... को इस अनुमति के साथ प्रेषित कि ऊपर दिये गये ब्योरे के अनुसार

उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 17 के अधीन उनकी भूमि पर प्राधिकारी

द्वारा..... रु० की धनराशि व्यय की गयी है

तथा उन्हें..... रु० की अनुदान स्वीकृत की जाती है।

ब्याज सहित.....रु० के अवशेष की वसूली  
उनसे.....रु० की  
.....किस्तों में भू-राजस्व के बकाये के रूप में की जायेगी जो  
.....को देय होगी, पहली  
किस्त.....से आरम्भ होगी।  
परियोजना निदेशक.....  
संख्या.....दिनांक..  
.....  
प्रतिलिपि कलेक्टर.....को सूचनार्थ तथा आवश्यक  
कार्यवाही हेतु प्रेषित  
परियोजना निदेशक.....

**क्षेत्र विकास (भूमि) प्रपत्र 16**  
**देखिये नियम 8 (1) (1),**

**निर्माण कार्य का प्रगति सम्बन्धी रजिस्टर**

योजना को अन्तिम रूप दिये जाने का दिनांक.....

योजना

.....ग्राम.....खण्ड.....  
.....तहसील..... जिला..... योजना (क्षेत्र विकास प्रपत्र

4) में दिखाये गये समस्त निर्माण कार्य की यथावत् नकल उतार ली जाय। कार्य जैसे-जैसे पूरा होता जाय अन्य ब्योरे भरे जाये।

**लाभार्थी/प्राधिकारी द्वारा किया गया कार्य**

क्रम- संख्या	*कार्य का नाम सर्वेक्षण सहित	लाभार्थी का नाम उसके पिता का नाम और पता	उन खेतों की खसरा संख्या जिनमें कार्य किया गया है।	लाभन्दिता होने वाला क्षेत्र	विशिष्टियां				किये गये कार्य का परिणाम	दर	किया गया कुल व्यय	कार्य पूरा होने का दिनांक	अनुमन्य सहायता		अभ्युक्ति
					आड़ी काट (क्रास सेक्शन)	लम्बाई	चौड़ाई	ऊँचाई					क्षेत्रफल	दर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

\*पृथक-पृथक निर्माण कार्य का अभिलेखन श्रेणीवार किया जायेगा जैसे समतल करना, बांध बनाना, गूलें बनाना आदि और प्रत्येक श्रेणी का पृथक-पृथक योग निकालकर समग्र योजना का महायोग निकाला जायगा।

क्षेत्र विकास (भूमि) प्रपत्र 17

देखिए नियम 8(1)(2)

खण्ड के निर्माण कार्य की प्रगति का रजिस्टर

खण्ड.....तहसील.....जिला.....मास.....  
.....

लाभार्थी प्राधिकारी द्वारा किया गया निर्माण कार्य:

क्रम- संख्या	*कार्य का नाम सर्वेक्षण सहित	योजना का नाम	योजना को अन्तिम रूप दिये जाने का दिनांक	लाभान्वित होने वाला क्षेत्र	किये गये कार्य का परिमाण	दर	किया गया कुल व्यय	अनुमन्य दर	अनुदान धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

\* निर्माण कार्य संबंधी प्रगति रजिस्टर प्रक्षेत्र विकास (भूमि) प्रपत्र 16, में से केवल विभिन्न निर्माण कार्यों के योग लिये जायेंगे और उन्हें यहाँ अभिलिखित किया जायेगा। निर्माण कार्य का श्रेणीवार अभिलेखन प्रत्येक श्रेणी के निर्माण कार्य के योग हित किया जायेगा।

क्षेत्र विकास (भूमि) प्रपत्र-18

देखिए नियम 8(1) (2),

जिले के निर्माण-कार्य की प्रगति का रजिस्टर

जिला..... मास.....  
..... तिमाही.....

लाभार्थी/प्राधिकारी द्वारा किया गया कार्य

क्रम-संख्या	सर्वेक्षण सहित कार्य का नाम	खंड /जिला	लाभान्वित होने वाला क्षेत्र	किये गये कार्य का परिमाण	दर	किया गया कुल व्यय	अनुमन्य दर	अनुदान धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



क्षेत्र विकास (भूमि) प्रपत्र 20 में रजिस्टर देखिए नियम 8 (1)(4),

निर्माण कार्य, अधिकारों और दायित्वों का विवरण-पत्र

योजना.....ग्राम.....खण्ड.....  
.....तहसील.....जिला.....

क्रम-संख्या	निर्मित कार्य	विशिष्टियाँ	उस खेत की खसरा संख्या, जिस पर संरचना की गई हो	संरचना द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल	लाभान्वित होने वाला क्षेत्र	खसरा संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7	

लाभार्थी/लाभार्थियों का/के नाम, पिता का नाम तथा निवास स्थान सहित	भूमि के स्वामी का नाम, उसके पिता का नाम, आयु तथा निवास स्थान, यदि वह लाभार्थी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति है।	उक्त भूमि पर कब्जा किये जाने का दिनांक जिस पर संरचना है।	लाभार्थियों के अधिकार	लाभार्थियों के दायित्व	अभ्युक्ति
8	9	10	11	12	13

आज्ञा,

विनोद कुमार दीक्षित,

सचिव।